संख्या– ५२। /नौ–7–2020

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
2. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत।

नगर विकास अनुभाग–7 लखनऊ : दिनांक : 17 अप्रैल, 2020

विषयः नोवेल कोरोना वायरस(कोविड–19) के दृष्टिगत हॉट–स्पॉट घोषित किये गये क्षेत्रों को शत–प्रतिशत सेनिटाइज करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि कोविड–19 के दृष्टिगत नगरीय निकाय क्षेत्रों में सफाई, स्वच्छता व सेनिटाइजेशन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। दिनांक 16.04.2020 तक कुल 269 क्षेत्रों को हॉट–स्पाट घोषित किया गया है तथा भविष्य में महामारी के अवांछित प्रसार के दृष्टिगत अपेक्षाकृत और अधिक क्षेत्र हॉट–स्पाट घोषित किये जा सकते हैं। नगरीय निकायों में जिन क्षेत्रों को हॉट–स्पाट घोषित किया गया हैं तथा भविष्य में जिन्हें हॉट–स्पाट घोषित किया जायेगा, वहाँ पर प्रत्येक घर, सार्वजनिक भवन, ड्रेन, सड़क तथा सार्वजनिक स्थलों का शत–प्रतिशत सेनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार हॉट–स्पाट क्षेत्रों के अन्तर्गत जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए प्रत्येक घर, सार्वजनिक भवन, ड्रेन, सड़क तथा सार्वजनिक स्थलों का शत– प्रतिशत सेनिटाइजेशन वरीयता पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0।
4. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज/नोडल अधिकारी, नगरीय व ग्रामीण पेयजल, स्वच्छता एवं सेनेटाईजेशन समिति, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 16.04.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव।

so.nagarvikas@gmail.com 2020